

फॉर्म एनएल-35- कारोबार के सभी क्षेत्रों से तिमाही कारोबार विवरणी

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लि.

दिनांक : 25-11-2021

2Q 2021-22

क्र सं	कारोबार क्षेत्र	तिमाही के लिए		पिछले वर्ष की समान तिमाही के लिए		तिमाही तक		पिछले वर्ष की समान तिमाही तक के लिए	
		प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या
1	अग्रि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	मरीन कार्गो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कार्गो के अतिरिक्त मरीन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	मोटर ओ डी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	मोटर टी पी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	स्वास्थ्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निजी दुर्घटना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	यात्रा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	कामगार मुआवजा/नियोक्ता का दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	सार्वजनिक/उत्पाद दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	इंजीनियरिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एविएशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	फसल बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	अन्य क्षेत्र **	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	विविध	26767.02	9946	28150.41	10771	46105.28	9946	45200.22	10771

टिप्पणियाँ :

- (क) प्रीमियम का अर्थ भारत में प्राप्त सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम की राशि के लिए है
- (ख) कारोबार क्षेत्र जो कंपनी के लिए लागू नहीं होती है उसे ला न से भरा जाना चाहिए।
- (ग) '0' दर्शाता है कि उस क्षेत्र में कोई व्यवसाय नहीं हुआ है।
- (घ) उन क्षेत्र /उप-क्षेत्र के लिए अलग से प्रकटीकरण किया जाना है जो कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है
- (ङ) ऊपर उल्लेखित कारोबार ऑकड़े सभी संबंधित एनएल से मेल कर रहे हों, यदि अंतर हो तो, कृपया कारण बताएं www.ecgc.in